**अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा**
**खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0- 13 /2022**

10.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

PGMS PORTAL के माध्यम से शिकायतकर्त्ता– हदिया, ग्राम– मानसूरा, पो0– लौगांय, पु0– महागामा, जिला– गोड्डा के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् जन वितरण प्रणाली के अनियमि से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में शिकायतकर्त्ता एवं संबंधित डिलर को उक्त वाद से संबंधित प्रतिवेदन के साथ दिनांक– **09.12.22** को कार्यालय अवधि में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट में इस कार्यालय के पत्रांक/ज्ञापांक :– 1557/रा0, दिनांक 30.11.22 द्वारा उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

आज दिनांक 09.12.22 को शिकायतकर्त्ता एवं संबधित डिलर वाद की सुनवाई हेतु उपस्थ्ति है।

शिकायतकर्त्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी को समर्पित अभ्यावेदन में लिखित बयान दिया गया है कि **"पूर्व में ही संबंधित डीलर जन वितरण प्रणाली के व्रिकेता मु0 हनीफ को जिला आपूर्ति कार्यालय के ज्ञापांक 1096/जि0आ0, दिनांक 07.12.2020 के द्वारा निलंबित किया जा चुका है।"** एवं शिकायतकर्त्ता द्वारा उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया है।

अतः उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के लिखित अनुरोध, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक– 2853, दिनांक 26.05.16 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के धारा 15(5) के तहत् प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजते हुए संबंधित विभागीय पोर्टल पर उपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित।

| | |
|---|---|
| 10.12.22 | 10.12.22 |
| अपर समाहर्त्ता | अपर समाहर्त्ता |
| –सह– | –सह– |
| जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, | जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, |
| गोड्डा। | गोड्डा। |